प्रपत्र सं0–49 भाग संख्या IV

प्रकीर्ण बाद में आदेश

न्यायालय– मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण **स्थान–** झाँसी

मोटर दुर्घटना वाद संख्या– 340 **सन्** 2017 **दावा प्रस्तुति दिनांक–**09/08/2017

1. श्रीमती ममता कुमारी पत्नी स्व.श्री स्वतंत्र कुमार उम्र करीब 40 वर्ष
2. कु. सौम्या पटेल पुत्री स्व. पुत्री कुमार उम्र करीब 18 वर्ष
3. हर्षित पटेल पुत्र स्व. श्री स्वतंत्र कुमार उम्र करीब 17 वर्ष (नाबालिग)
4. कैलाश वर्मा पुत्र श्री अजुद्दी प्रसाद उम्र 65 वर्ष
5. श्रीमती सुकृता पत्नी कैलाश वर्मा उम्र 60 वर्ष

याची सं. 3 नाबालिग जरिये संरक्षका माँ श्रीमती ममता कुमारी
समस्त निवासीगण 1683/1 एफ, महाराणा प्रताप नगर पिछोर जिला झाँसी, उ.प्र.

––––––––याचीगण।

बनाम

1. प्रदीप साहू पुत्र श्री राम गोपाल निवासी 215, तिलयानी बजरिया झाँसी थाना कोतवाली जिला झाँसी, उ.प्र. .... मालिक ट्रक सं. 93 ए टी 8089
2. मुन्ना लाल तिवारी पुत्र आशाराम नि. रक्सा थाना रक्सा जिला झाँसी, उ.प्र. .... चालक ट्रक सं. 93 ए टी 8089
3. दि ओरिएण्टल इंश्योरेंस कम्पनी लि. जरिये मंण्डलीय प्रबन्धक, दि ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. सीता होटल के के पीछे, सिविल लाईन, झाँसी। ...... बीमा कम्पनी ट्रक सं. 93 ए टी 8089

.........विपक्षीगण।

टिप्पणी– जो पते कि ऊपर दिये गये है यह पक्षकारों ने
को छोडकर, जो उपस्थित नहीं हुये तामील प्रयोजन से दाखिल किये है।

दावा अंतर्गत धारा –166 व 140 मो0 व्ही0 एक्ट

मुबलिग के लिए दावा 69,00,000

आवेदक के लिए श्री इन्द्रपाल सिंह **अभिवक्ता और प्रतिपक्षकार** 1, 2 **के लिये** श्री जी.एस.तोमर, **प्रतिपक्षकार** 3 **के लिये** श्री हरिश्चन्द्र सिंह **अभिवक्ता की उपस्थिति में इस वाद के दिनांक** 5.10.2020 **को** श्री चंद्रोदय कुमार **पीठासीन अधिकारी मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण झाँसी के समक्ष निर्णय के लिये पेश होने पर एतदद्वारा आदिष्ट किया जाता है कि** *याचीगण की याचिका विपक्षी सं. ३ ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के विरूद्ध क्षतिपूर्ति धनराशि ₹68,65,805/– (अरसठ लाख पैंसठ हजार आठ सौ पाँच) मय 7.5% साधारण वार्षिक ब्याज, याचिका प्रस्तुत करने की तिथि से वसूली की तिथि तक, के लिए आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। विपक्षी संख्या 3 ओरिएण्टल इंश्योरेन्स कं. लि. को आदेशित किया जाता है कि वह याचीगण को निर्णय के दिनॉक से 30 दिन के अंदर क्षतिपूर्ति की धनराशि का भुगतान मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, झाँसी के पंजाब नेशनल बैंक के खाता संख्या 3671000101192489 (IFSC: PUNB0367100) मे आर.टी.जी.एस./नेफ्ट के माध्यम से कर दे जिसका ट्रांजैक्शन नं. मय याचिका संख्या व नाम बनाम ईमेल po@mactjhansi.in व mactjhansi@gmail.com पर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण भेज दें।*

याची संख्या 1,2,3,4 व 5 क्षतिपूर्ति धनराशि का क्रमशः 35,25,20,10 व 10 प्रतिशत भाग प्राप्त करेंगे। प्रतिकर की धनराशि मे से समस्त याचीगण की 75,75 प्रतिशत भाग धनराशि की

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2020.10.23 15:56:53 IST
Reason: Presiding Officer
Location: Motor Accident Claim Tribunal Jhansi

3 वर्ष के लिए एन्यूटी बनायी जाएगी। प्रतिकर की शेष 25–25 प्रतिशत धनराशि याचीगण जरिए आर.टी.जी.एस./नेफ्ट उनके बैंक खाते में नगद प्रदान की जावेगी।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण
झांसी